संपर्क पोर्टल पर 15 दिन से कम समय में हो परिवेदनाओं का निस्तारण : कलेक्टर

बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई में संभागीय आयुक्त रवि कुमार सूरपुर व जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आमजन की समस्याएं सुनी।

- संभागीय आयुक्त ने कहा कि जनसुनवाई और रात्रि चौपाल इस तरह से आयोजित करें कि जिले की सभी 364 ग्राम पंचायत कवर हो जाए

बीकानेर,(कासं)। संभागीय आयुक्त डॉ रवि सुरपुर ने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण जनसुनवाई और रात्रि चौपाल इस तरह से आयोजित करें कि जिले की सभी 364 ग्राम पंचायत कवर हो जाएं। इससे परिवादियों का संतुष्टि स्तर भी बढ़ेगा और परिवेदनाओं के निस्तारण का समय भी कम हो सकेगा। डॉ सुरपुर गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से मुखातिब थे।

संभागीय आयुक्त ने कहा कि पहले उन स्थानों पर जनसुनवाई आयोजित करें जिस ग्राम पंचायत की आबादी सर्वाधिक हो या जहां से सर्वाधिक परिवेदनाएं प्राप्त हो रही हों या ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं होने के बावजूद बड़ी आबादी वाला गांव है या जहां पुराने मामले सर्वाधिक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि नजदीकी ग्राम पंचायत में हफ्ते में दो तीन बार अधिकारीगण जनसुनवाई कर आएं और जिला मुख्यालय से दूर किसी ग्राम पंचायत में कई महीनों बाद भी जनसुनवाई ना हो।

एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार आपसी कॉर्डिनेशन से जनसुनवाई और रात्रि चौपाल का स्थान तय करें। डॉ सुरपुर ने कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी केवल बैठे नहीं रहें। जिला स्तर से किसी परिवेदना पर जवाब मांगे तो वीसी के जरिए दें अन्यथा विभिन्न परिवेदनाओं और अन्य लोकल समस्याओं का रिव्यू कर लें। तीन-चार घंटों का सदुपयोग करें। उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारियों के ट्यूर और इंस्पेक्शन मामले में लूणकरनसर के अलावा किसी भी ब्लॉक की रिपोर्ट संतुष्टिपूर्ण नहीं है।

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं का निस्तारण समय हर हाल में 15 दिन से कम हो। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने बज्जू में नहरी पानी चोरी की शिकायत पर संबंधित एसडीएम को सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध कनेक्शन हटवाने के निर्देश दिए। बीडीओ बीकानेर को हुसंगसर में आबादी भूमि पर अतिक्रमण को सात दिन में हटाने के निर्देश दिए।

नोखा के सारुंडा गांव के एक किसान के खेत में बिना कृषि कनेक्शन के करीब ढाई लाख का बिजली बिल थमाने के मामले में जिला कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को इसका तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुरा बस्ती में अवैध कब्जे को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं करने के एक मामले में कलेक्टर ने एडिशनल एसपी को तत्काल एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में कुल 101 परिवेदनाएं प्राप्त हुई। जिनमें से ज्यादातर समस्याओं का जिला कलेक्टर ने मौके पर ही निस्तारण किया। इसके अलावा सतर्कता के अंतर्गत दर्ज 9 मामलों की भी सुनवाई की। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर के अलावा सीईओ जिला परिषद सोहनलाल, बीडीए कमिश्नर अपर्णा गुप्ता, नगर निगम कमिश्नर मयंक मनीष, एडीएम सिटी रमेश देव समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

श्रीगंगानगर। राजस्थान सरकार की जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिये जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरूवार को कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार परिवेदनाओं का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाये। जनसुनवाई में प्राप्त 105 प्रकरणों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। संपर्क पोर्टल प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आमजन की परिवेदनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि समस्त प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित करते हुए परिवादियों को संतुष्टि और राहत मिल सके, ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें। विभागीय अधिकारी संपर्क पोर्टल पर औसत निस्तारण दिवस, राहत प्रतिशत एवं राहत संतुष्टि प्रतिशत में सुधार के लिये गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करें।

किशोरी से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

श्रीगंगानगर, (कासं)। किशोरी का अपहरण करवाने की मददगार मौसी और बार-बार दुष्कर्म के दोषी युवक को 20-20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया।

यह फैसला पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या दो के न्यायाधीश ने सुनाया। दोषियों पर 1 लाख 20 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना राशि को अदालत में जमा नहीं करवाई तो दोषियों को 6-6 माह की ज्यादा जेल भुगतनी होगी। जुर्माना राशि पीडिता किशोरी को दी जाएगी। इसके अलावा पीड़िता को प्रतिकर योजना में भी आर्थिक मदद विधिक सेवा केन्द्र की ओर से दी जायेगी।

न्यायालय के एसपीपी हरवीर बराड़ ने बताया कि 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर बार-बार दुष्कर्म के दोषी चूरू के सांडवा निवासी 24 वर्षीय शंकरलाल पुत्र पन्नालाल को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। किशोरी का अपहरण करवाने में मददगार पाई गई मौसी को भी 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। यह मामला श्रीविजयनगर थाना में 2 मई 2023 की शाम को पीड़ित किशोरी की मां की ओर से नामजद दर्ज करवाया गया था। लालाराम को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया है।

एसपीपी हरवीर बराड़ ने बताया कि पीड़िता किशोरी अपने माता-पिता और 8 वर्षीय भाई के साथ ईंट भट्टे पर रहती थी। दोषी ठहराई किशोरी की सगी मौसी और शंकर के बड़े भाई लालाराम नायक के साथ इसी भट्टे पर लिव इन रिलेशन में रहकर काम करते थे। दोषी युवक शंकरलाल नायक किशोरी पर बुरी नजर रखता था।

सार-समाचार

शिविर में किया रक्तदान

राजीव यूथ क्लब बीकानेर की ओर से डागा चौक स्थित कार्यालय में रक्तदान शिविर लगाया।

बीकानेर, (कासं)। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के बीच हमारे देश की सेनाओं द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने एवं एवं आपात स्थिति की संभावना को ध्यान में रखते हुए क्लब के संरक्षक व पूर्व मंत्री डॉ बी. डी. कल्ला की प्रेरणा से राजीव यूथ क्लब बीकानेर द्वारा रक्तदान शिविर डागा चौक स्थित कार्यालय में लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष अनिल कल्ला ने बताया कि क्लब ने अपने सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला के अंतर्गत इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जनार्दन कल्ला ने किया। रक्तदान शिविर में राजीव यूथ क्लब के सैकड़ों सदस्यों व आमजन ने स्व प्रेरित होकर रक्तदान किया। शिविर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से क्लब संरक्षक डॉ. बी.डी. कल्ला, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष मकसूद अहमद, गांधी दर्शन समिति बीकानेर के जिला संयोजक संजय आचार्य किशन ओझा, घंटी नंदलाल आचार्य, रामपुरिया विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनंत जोशी, मनोज किराडू, युवा कांग्रेस के देवेन्द्र बिस्सा, विक्की चड्ढा, श्याम नारायण रंगा, अशोक शारडा, एडवोकेट कुंदन व्यास, मुन्ना भदाणी, रामनाथ आचार्य, फिरोज भाटी आदि ने रक्तदान करने वाले प्रतिभागियों की होंसला अफजाई की। क्लब के अध्यक्ष अनिल कल्ला ने बताया कि राजीव यूथ क्लब पिछले चार दशकों से जब-जब देश पर या राज्य व शहर पर किसी प्रकार का कोई भी संकट आया है। क्लब के सदस्यों ने एक एकजुट होकर राष्ट्रीय सेवा में हमेशा अपनी सहभागिता निभाई है।

बिजली की सप्लाई बंद होने से रूटीन के ऑपरेशन भी नहीं हुए

- आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर रिसर्च सेंटर का विद्युत पैनल ठीक करने का काम रात तक चला
- कैंसर हॉस्पिटल के विद्युत पैनल में आग लग गई थी

बीकानेर,(कासं)। आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर रिसर्च सेंटर का विद्युत पैनल ठीक करने का काम रात तक चला, जिसकी वजह से मरीजों को वापस शिफ्ट करने का काम टाल दिया गया है। बिजली की सप्लाई बंद होने के कारण रूटीन के ऑपरेशन भी नहीं हो सके। आपदा प्रबंध विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने का कारण प्रथमदृष्टया लोड फैक्टर माना जा रहा है।

कैंसर हॉस्पिटल के विद्युत पैनल में आग लगने का मामला जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त से लेकर सीएमओ तक पहुंच गया है। चिकित्सा शिक्षा सचिव के निर्देश पर पीबीएम प्रशासन ने इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी है। आपदा प्रबंध के नोडल अधिकारी डॉ. गौरीशंकर जोशी को आग लगने के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना के कारण बुधवार को हॉस्पिटल में रूटीन के ऑपरेशन नहीं हो सके। आउटडोर बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में चलाया गया। इससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। ओपीडी में पर्ची कटवाने के बाद उन्हें बीएमटी में डॉक्टर को दिखाने के लिए घंटे इंतजार करना पड़ा।

गौरतलब है कि मंगलवार शाम को कैंसर हॉस्पिटल के विद्युत पैनल में आग लगने से वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया। अंधेरा होने के कारण रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों को शिफ्ट करवाया। मरीजों को शिफ्ट करने में स्ट्रेचर और व्हील चेयर कम पड़ गई थीं। आईसीयू में ऑक्सीजन पर चल रहे ब्लड कैंसर के गंभीर मरीजों के लिए एम्बुलेंस तक के इंतजाम नहीं किए गए थे। हॉस्पिटल में भर्ती करीब 58 मरीजों को हॉस्पिटल के ही अन्य विभागों की बिल्डिंग और एमसीएच में बनाए नए वार्ड में शिफ्ट किया गया था।

विद्युत पैनल में आग लगने की घटना के बाद कैंसर हॉस्पिटल की पूरी वायरिंग की जांच की जा रही है। यह देखा जा रहा है कि कहीं दूसरी जगह पर कोई तार तो नहीं जली। विद्युत पैनल के ऊपर वाली मंजिला पर ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल आईसीयू है।

पीबीएम में 3 एयर कंडीशन भेंट किए

बीकानेर, (कासं)। खत्री मोदी समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओ द्वारा पीबीएम हॉस्पिटल में 2000 नग कफन कपड़ा तथा 3 एयर कंडीशन भेंट किए गए। इसके साथ ही प्रताप डवलपर्स द्वारा 10 नई ट्रॉली भेंट की गई तथा पुरानी ट्रॉलियों की मरम्मत करवाई गई।

पीबीएम ट्रोमा सेंटर में आयोजित कार्यक्रम मे सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ गुंजन सोनी, पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ सुरेन्द्र वर्मा, ट्रोमा सेंटर निदेशक डॉ बी. एल. खजोटिया, सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनोहर लाल, ट्रोमा सेंटर सीएमओ डॉ एल. के. कपिल ने समाज के सेवा कार्य को अनुकरणीय बताया और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाज के सामाजिक कार्यकर्ता श्योदान सिंह, श्याम खत्री, अशोक खेमाणी, जगदीश अरोड़ा, शिवशंकर मोदी, शिव मोदी, कमल किशोर मोदी मौजूद थे।

डॉ. एन.एल. महावर का इस्तीफा चर्चा का विषय

- एसपी मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य द्वितीय एन.एल. महावर ने अचानक इस्तीफा दिया
- इस्तीफे का कारण काम के अत्यधिक दबाव और स्वास्थ्य समस्या होना बताया गया

बीकानेर, (कासं)। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य द्वितीय एन.एल. महावर ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण काम के अत्यधिक दबाव और स्वास्थ्य समस्या होना बताया गया है। डॉ. महावर कॉलेज में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। इसलिए अचानक उनका इस्तीफा देना चर्चा का विषय बना हुआ है।

एसपी मेडिकल कॉलेज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग के प्रोफेसर एन.एल. महावर अतिरिक्त प्राचार्य द्वितीय के तौर पर कॉलेज का संस्थापन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य देखते थे। इसके अलावा सरकार को भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएं उन्हीं के माध्यम से जाती थीं। इसलिए देर शाम तक उन्हें कॉलेज में ही रूकना पड़ा था। पता चला है कि डॉ. महावर को जरूरत के मुताबिक स्टाफ नहीं मिल रहा था। कॉलेज प्रशासन का भी सहयोग नहीं था। इस संबंध में डॉ. महावर का कहना है कि उन्होंने काफी समय पहले ही जिम्मेदारी छोड़ने के लिए कह दिया था। उधर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. गुंजन सोनी का कहना है कि इस्तीफे का फैसला कॉलेज के हित में नहीं है। इस संबंध में डॉ. महावर से बात की जायेगी।

अस्सी वार्डों की सीमा को लेकर रिपोर्ट तैयार

- बीकानेर के 46 वार्डों की सीमा एक बार फिर बदल जायेगी

बीकानेर,(कासं)। नगर निगम चुनाव की तैयारी अब परवान पर है। नगर निगम के सभी अस्सी वार्डों की सीमा को लेकर रिपोर्ट तैयार हो गई है, जो जल्दी ही जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जायेगी। जहां से स्वीकृति मिलने के बाद बीकानेर के 46 वार्डों की सीमा एक बार फिर बदल जायेगी। वहीं 34 वार्ड जस के तस रहेंगे।

नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष के निर्देशन में एक टीम ने बीकानेर नगर निगम के सभी अस्सी वार्डों का पुनर्सीमांकन करने के लिए काम शुरू किया था। इस टीम ने आम जनता से आपत्ति मांगी थी, जिसके बाद करीब सौ आपत्तियां प्राप्त हुई। इन सभी का निस्तारण करने के बाद 46 वार्ड में सीमा बदल रही है। इन वार्डों के कुछ मोहल्लों को दूसरे वार्ड में शामिल किया गया है। परकोटे के भीतर स्थित वार्डों में स्थिति जस की तस है लेकिन बाहरी वार्डों में फेरबदल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ नए क्षेत्रों को भी इन वार्डों में जोड़ने का काम चल रहा है। हाल ही में कुछ क्षेत्रों को शामिल करने की मांग उठी थी, जिसके आधार पर बदलाव किया जा रहा है। वार्डों की नए सिरे से सीमा तय होने के बाद प्रस्ताव जिला कलेक्टर माध्यम से राज्य सरकार को भेजे जायेंगे।

आर.पी.वी.टी.-3 अगस्त को

बीकानेर, (कासं)। वेटरनरी विश्वविद्यालय के संघटक एवं संबद्ध वेटरनरी कॉलेजों में बी.वी.एस.सी. एण्ड ए.एच. डिग्री पाठ्यक्रम (सत्र 2025-26) में प्रवेश राजस्थान प्री-वेटरनरी टेस्ट (आर.पी.वी.टी.) के माध्यम से होगा।

समन्वयक आर.पी.वी.टी. प्रो. राजेश कुमार धूड़िया ने बताया कि इस वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम (बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच.) में प्रवेश हेतु आर.पी.वी.टी. आयोजित की जा रही है जो कि 03 अगस्त को होगी। छात्रों के आवेदन के अनुरूप आर.पी.वी.टी. चार जिलों बीकानेर, जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर में आयोजित की जायेगी। पिछले दो वर्षों से स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश नीट स्कोर के माध्यम से लिए जा रहे थे परन्तु इस वर्ष से आरपीवीटी से लिए जायेंगे।

निगम ने मदान मार्केट के 20 दुकानदारों को नोटिस थमाए

- प्रशासन की मंजूरी के बिना दुकानों में अंडर ग्राउंड बनाए
- निगम उपायुक्त ने गुरूनानक मार्केट, सुखलेचा कटला और लाभूजी कटला में बेसमेंट का सर्वे किया

बीकानेर, (कासं)। यहां मदान मार्केट में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अब तक 11 की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद नगर निगम ने तंग गलियों में बने बाजार का सर्वे शुरू कर दिया है। पहले दिन 20 दुकानदारों को नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा गया कि उनकी दुकान में सुरक्षा के क्या उपाय है। दुकानों में अंडर ग्राउंड बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति भी मांगी गई है। मौके पर अधिकांश दुकानदार किसी तरह की स्वीकृति नहीं दिखा सकें।

नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा ने बीकानेर के गुरूनानक मार्केट, सुखलेचा कटला और लाभूजी कटला में बेसमेंट का सर्वे किया। खुद उपायुक्त ने इन दुकानों में घुसकर देखा कि कितने आकार की दुकान है और कितना निर्माण किया गया है। इस दौरान अधिकांश दुकानों के अंदर अंडर ग्राउंड बने मिले, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। लाभूजी कटला में ही कई दुकानों में सर्वे के दौरान अवैध निर्माण मिले। सुखलेचा और गुरूनानक मार्केट में भी कमियां पाई गई है।

लाभूजी कटला में तो दुकानों की छत ही लकड़ी की बनी हुई है। इन दुकानों में ठूंस-ठूंस कर कपड़े भरे हुए हैं। अगर हादसा होता है तो किसी को बचने की जगह नहीं मिलेगी। कपड़े वैसे ही तेजी से आग पकड़ते हैं। आग से बचने के लिए कोई उपकरण भी यहां नजर नहीं आया। कुछ दुकानों पर अग्निशमन उपकरण नजर आए लेकिन इनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। निगम उपायुक्त ने कहा है कि जिन दुकानों को नोटिस दिया गया है। उन्होंने सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए तो इन दुकानों को सीज किया जायेगा।

एडीएम ने हीटवेव से बचाव के लिए चिकित्सा व्यवस्थाओं को जांचा

एडीएम (प्रशासन) रामावतार कुमावत ने देशनोक में सीएचसी का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं को जांचा।

- चिकित्सालय के समस्त कक्षों का अवलोकन कर रिकॉर्ड व दवाओं के संबंध में जानकारी ली

बीकानेर, (कासं)। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन रामावतार कुमावत ने देशनोक में उप-तहसील कार्यालय, नगर पालिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और राबाउमा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण के दौरान विभिन्न वार्डों का अवलोकन करते हुए कुमावत ने हीटवेव से संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था की जानकारी ली एवं प्रभारी अधिकारी को हीटवेव से बचाव हेतु आवश्यक सभी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के लिए कहा।

कुमावत ने चिकित्सालय के समस्त कक्षों का अवलोकन कर रिकॉर्ड व दवाओं के संबंध में जानकारी ली। दवा वितरण केन्द्र पर दवाओं की स्पष्ट सूची अंकित करने एवं चिकित्सालय में की जा रही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं जांच संबंधी सुविधाओं का उल्लेख करने के लिए प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए। उप-तहसील देशनोक के निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार देशनोक को निर्देश दिए गए कि क्षेत्र में राजकीय कृषि भूमियों पर अवैध अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध नियमानुसार प्रकरण बनाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार से राजकोष को हानि न हो, इस हेतु कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

नगर पालिका देशनोक के निरीक्षण के दौरान अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि फायर स्टेशन पर समस्त स्टाफ को मुस्तैद रखा जाए एवं पालिका के कर्मचारियों को अग्रिम दी गई राशि के वसूली के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

तिरंगा यात्रा की तैयारी बैठक

बीकानेर, (कासं)। भारतीय जनता पार्टी संभाग कार्यालय में आज शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ की अध्यक्षता में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक' बैनर तले कल तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर जिला पदाधिकारियों, मंडल, मोर्चा अध्यक्षों के साथ तैयारी बैठक की गई।

बैठक में जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है। ऐसे में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कल शाम 4 बजे रतन बिहारी पार्क से तिरंगा यात्रा निकालने का निणर्य किया है तिरंगा यात्रा किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यह हमारी सेना के लिए निकाला जा रहा सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें आमजन की भागीदारी रहेगी। यात्रा संभाग समन्वयक विजय आचार्य ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य सेना का मनोबल बढ़ाना और सेना को सम्मान देना है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 14-05-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड वाके चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 12, 19 में भूखण्ड माप 10 मीटर गुणा 20 मीटर के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक **श्री राजकुमार भूतना पुत्र श्री चन्द्रभान भूतना** निवासी मकान नं. 01, बैंक कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री राजकुमार भूतना पुत्र श्री चंद्रभान भूतना निवासी मकान नं. 01, बैंक कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 12, 19 में भूखण्ड माप 10 मीटर गुणा 20 मीटर का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

RajKaj Ref No.: 16168791 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/3964 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 15.5.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री योगेश बंसल पुत्र श्री नवदीप बंसल निवासी उमराओ कंपनी की कोठी, रोडवेज बस डीपो के सामने, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 49/61 किला नं. 05 भू.सं. 01 माप 50 वर्गगज, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 409 दिनांक 15.12.1998 को श्री परसराम बंसल पुत्र श्री संतराम के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री योगेश बंसल द्वारा उक्त भूखंड को जरिये अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 14.9.2016 के द्वारा प्राप्त कर उक्त भूखंड का ऑनलाइन नामांतरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री योगेश बंसल पुत्र श्री नवदीप बंसल निवासी उमराओ कंपनी की कोठी, रोडवेज बस डीपो के सामने, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/1428 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/3993 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 15-05-2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश एवं आशिका पुत्री श्री ओम प्रकाश निवासी 3/126, शंकर कॉलोनी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 28 किला नं. 04 भूखण्ड संख्या बीडीसी-03, माप 30 इन्टू 68 फीट बाबा दीप सिंह कॉलोनी, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 4065 दिनांक 04.09.2006 को श्री कंवल जैन भाटिया पुत्र श्री सरदारी लाल के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती सरिता एवं कु. आशिका द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत बेचनामा दिनांक 18.04.2024 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखण्ड का ऑनलाईन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश एवं आशिका पुत्री श्री ओम प्रकाश निवासी 3/126, शंकर कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री होल्ड पट्टे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/166 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, खाजूवाला (बीकानेर)

राजीव सर्किल पुलिस थाने के पास, खाजूवाला, जिला-बीकानेर; 334023

E-mail id : Npkhajuwala@gmail.com

क्रमांकः- न.पा.खाजू./नीलामी/2025-26/341-42 दिनांकः- 14.05.2025

निलामी सूचना संख्या 01/2025-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका खाजूवाला क्षेत्र मे मृत पशुओं/हड्डी उठाने का ठेका वर्ष 2025-2026 (अवधि 01.06.2025 से 31.03.2026) तक का इस कार्यालय में दिनांक 26.05.2025 को दोपहर 02.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कार्यालय गठित कमेठी द्वारा खुली बोली द्वारा निलामी की जावेगी। निलामी बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता को अमानत राशि 12,000/- रुपये जमा करवानी होगी एवं आवेदन शुल्क 500 रुपये जमा करवाना होगा। निलामी से सम्बन्धित समस्त शर्ते कार्यालय समय में उपस्थित होकर कार्यालय में देखी जा सकती है। UBN is: DLB2526WSOB02912

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका खाजूवाला

राज.संवाद/सी/25/2314

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101363 **लोक सूचना** दिनांक : 15.5.2025

श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह	चक 5 जैड के मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 22/1 में 0.2010 है., में से 0.0770 है., किला नं. 23/3 में 0.0960 है. में से 0.0350 है. कुल. 0.112 है. एवं मुरब्बा नं. 10 के किला नं. 2 में 0.2530 है. किला नं. 3/4 में 0.1150 है. किला नं. 8/4 में 0.1150 है. किला नं. 9 में 0.2530 है., किला नं. 12 में 0.2530 है., किला नं. 13/4 में 0.1160 है., किला नं. 18/4 में 0.1150 है., किला नं. 19 में 0.2530 है., किला नं. 22 में 0.2530 है., किला नं. 23/4 में 0.1150 है. कुल. 1.841 है., यथाकुल 1.9530 हेक्टेयर	कुल 1.9530 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15.5.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101365 **लोक सूचना** दिनांक : 15.5.2025

श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह	चक 5 जैड के मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 25/3 में 0.1315 है., में से 0.0650 है. कुल 0.0650 है. एवं मुरब्बा नं. 10 के किला नं. 5/4 में 0.2135 है. किला नं. 6/4 में 0.2135 है. किला नं. 15/4 में 0.2135 है., किला नं. 16/4 में 0.2135 है., किला नं. 25/4 में 0.2135 है. कुल 1.0675 है. यथाकुल 1.1325 हैक्टेयर	कुल 1.1325 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15.5.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101364 **लोक सूचना** दिनांक : 15.5.2025

श्री सुरेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री सुरेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह	चक 5 जैड के मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 23/4 में 0.0420 है., किला नं. 24/6 में 0.0230 है., कुला 0.0650 है., एवं मुरब्बा नं. 10 के किला नं. 3/1 में 0.1260 है., किला नं. 3/5 में 0.0120 है. किला नं. 4/2 में 0.0767 है., किला नं. 7/2 में 0.0767 है. किला नं. 8/1 में 0.1270 है. किला नं. 8/5 में 0.0110 है. किला नं. 13/1 में 0.1270 है. किला नं. 13/5 में 0.0110 है. किला नं. 14/2 में 0.0767 है. किला नं. 17/2 में 0.07670 है. किला नं. 18/1 में 0.1270 है. किला नं. 18/5 में 0.0110 है. किला नं. 23/1 में 0.1260 है. किला नं. 23/5 में 0.0120 है. किला नं. 24/2 में 0.0767 है. कुल 1.0735 है., यथाकुल 1.1385 हैक्टेयर	कुल 1.1385 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15.5.2025 को जारी की गयी।

- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर